अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :–

अभिलेख संख्या :– 107/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कुमार बास्की वो अंचल निरीक्षक श्री गायेत्रिका दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा ठकुआ ...... थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/4 दाग नं0 32 रकवा 00-14-00 किस्म परती कदीम श्री मति - शीता देवी पिता शंकर भगत ... साकिन................ के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री मति शीता देवी को दिनांक 30/7/16 समय 11:00 Am पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

(हस्ताक्षर) 2/7/16
अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/7/16

अभिलेख उपस्थापित।

श्रीमति शीता देवी पिता शंकर भगत है पति श्री राजकिशोर भगत उपस्थित। इन्होंने भूमि प्राप्त करने संबंधी कागजात दाखिल किया है। अभिलेख दिनांक 11.08.2016 को रखें।

(हस्ताक्षर) 30/7/16

(हस्ताक्षर)

sandha

Scanned with CamScan

14/6/19	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। अं० अ० महागामा
15.7.19	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला नहीं किया गया
01/7/2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। अं० अ० महागामा
	अभिलेख उपस्थापित। कोविड-19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया गया है। कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 26.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। 18/8/2021 अंचल अधिकारी, महागामा।
26/8/21	अभिलेख उपस्थापित। बनाम द्वारा हाजरी दी गई है जमीन संबंधित कागजात की छाया प्रति दी गई है। अभिलेख दिनांक 28/8/2021 को रखें। 26/8/2021 अंचल अधिकारी महागामा

28.08.2021 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व अनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रश्नगत भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार अवैध/संदेहास्पद पंजी II रैयत को भूमि मौजा- बसुआ थाना नं.- 692 के गैरमजरुआ खाता सं.- 24 के अंदर दाग नं.-32 का अंश रकवा 00-14-00 धूर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश नं.-15/1997-98 के द्वारा गीता देवी पिता- शंकर भगत को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर गीता देवी का दखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

28/8/21

अंचल अधिकारी,
महागामा।

28/8/21

अंचल अधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by RANJAN.YADAV
Date: 2022.03.09 17:58:19 +05:30
Location: 192.168.134.28

Scanned with CamScanner